संख्या 7-1/2015-एस. एंड आई.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
****

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 24 फरवरी, 2015

सेवा में,

सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
......................सरकार (सभी राज्य सरकारें/संघ क्षेत्र प्रशासन)

विषय: रबी विपणन मौसम 2015-16 के लिए गैहूं एवं जौं की एकसमान विनिर्दिष्टियां।

महोदय,

मुझे रबी विपणन मौसम 2015-16 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए खरीद हेतु गैहूं एवं जौं की एकसमान विनिर्दिष्टियों को इस पत्र के साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध है कि एकसमान विनिर्दिष्टियों का किसानों के बीच व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि वे अपने उत्पादों के उचित मूल्य प्राप्त कर सकें और स्टॉक की अस्वीकृति से बचा जा सके। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी विपणन मौसम 2015-16 के दौरान गैहूं एवं जौं की खरीद एकसमान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप कड़ाई से सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

संलग्न : यथोक्त

(डॉ सुभाष गुप्ता)
संयुक्त आयुक्त (एस. एंड आर.)
दूरभाष: 23389625

प्रति प्रेषित:-

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली
- कार्यकारी निदेशक (वाणिज्यिक), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
- कार्यकारी निदेशक (क्यूसी), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
- महा प्रबंधक (क्यूसी), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
- महा प्रबंधक (विपणन एवं खरीद), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली
- सभी कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम
- प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली
- सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
- सचिव(खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई)/संयुक्त सचिव (इम्पैक्स, एसआरए एवं ईओपी)/संयुक्त सचिव (भंड़ारण)/ संयुक्त सचिव (बीपी एंड पीडी)
- निदेशक (नीति)/निदेशक (एफसीआई)/ निदेशक (पीडी)/ निदेशक (वित्त)/संयुक्त आयुक्त (एस एंड आर)/उपायुक्त (एस एंड आर)
- गुण नियंत्रण सैल/भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के सभी कार्यालय।
- अवर सचिव (बीपी-1)/ अवर सचिव (बीपी-2)/ अवर सचिव (नीति-1,2,3,4)
- उप निदेशक (एस)/ उप निदेशक (क्यूसी)/ सहायक निदेशक (सीजीएएल)/ सहायक निदेशक (क्यूसी)
- निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने की कृपा करें।

(बी0सी0 जोशी)
उप आयुक्त (एस. एंड आर.)
दूरभाष: 23070474

रबी विपणन मौसम 2015-16 के लिए भारतीय गेहूं की सभी किस्मों की खरीद के लिए एकसमान विनिर्दिष्टियां

गेहूं निम्नानुसार होगाः

- जिसमें ट्राइटिकम वल्गर, टी. कॉम्पैक्टम, टी. स्फैरिओकोकोम, टी. डयूरम, टी. ऐस्टीवियुम और टी. डाइकोकोम के परिपक्व सूखे हुए दाने हों।
- इनका आकार, बनावट, रंग और चमक प्राकृतिक हो।
- मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता, विषाक्त घास के बीजों सहित हानिकर तत्वो के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड अन्य सभी प्रकार की अशुध्दताओं से मुक्त हो।
- अच्छी विपणीय अवस्था में हो।
- इसमें किसी भी रुप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ तथा खराब, हानिकर और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम / नियमों (खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम) के अनुरुप हो।

गेहूं की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिनियम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्यान्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोडे क्षतिग्रस्त दाने %	सिकुडे और टोटे दाने %
0.75	2.00	2.00	4.00	6.00

टिप्पणीः

1. 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यन्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

2. विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.4 % से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाती) वजन के अनुसार क्रमशः

0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होगें।

3. भौतिक विश्लेषण के दौरान छिलके सहित दानों को खराब खाद्यान्न नही गिना जाएगा और छिलकों को निकाल दिया जाएगा और उन्हें जैविक विजातीय तत्व माना जाएगा।

4. क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर एरगोट प्रभावित दाने 0.05% से अधिक नहीं होंगे।

5. स्टाक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 2 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रधूमन प्रभार के रुप में वसूल किया जाएगा।

6. गणना द्वारा निश्चित किए गये घुने हुए दानों में 1% से अधिक घुने हुए दानों वाले गेहूं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। घुने हुए दानों के लिए 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

विश्लेषण की पध्दति

घुन लगे दानों को छोडकर जिन्हे गणना पध्दति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई0एस0 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार।

अपवर्तकों की परिभाषा

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टि संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।

रबी विपणन मौसम 2015-16 के लिए भारतीय जौं की सभी किस्मों की खरीद के लिए एकसमान विनिर्दिष्टियां

जौं निम्नानुसार होगाः

- होर्डियम बल्गर के परिपक्व सूखे हुए दाने हों।
- इनका आकार, बनावट और रंग एक समान हो।
- मीठा, साफ, पुष्ट हो और बदबू, रंगहीनता हानिकर तत्वो के मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में दर्शायी गई मात्रा को छोड अन्य सभी प्रकार की अशुध्दताओं से मुक्त हो।
- अच्छी विपणीय अवस्था में हो।
- इसमें किसी भी रुप में अर्जिमोन मैक्सिकाना और लेथायरस सैटाइवस (खेसरी), रंगने वाले पदार्थ, कीटनाशी तथा कोई खराब और विषाक्त पदार्थ का मिश्रण न हो।
- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम /नियमों (खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम) के अनुरुप हो।

जौं की उचित औसत गुणवत्ता में विभिन्न अपवर्तकों की अधिनियम अनुमेय सीमाओं को दर्शाने वाली अनुसूची

विजातीय तत्व	अन्य खाद्न्न %	क्षतिग्रस्त दाने %	थोडे क्षतिग्रस्त दाने और लगे हुए दाने %	अपरिपक्व और सिकुडे दाने %
0.75	5.00	3.00	8.00	8.00

टिप्पणीः

- विजातीय तत्व हेतु निर्धारित समग्र सीमा के भीतर जहरीले घास के बीज 0.5 % से अधिक नहीं होंगे जिनमें धतूरा और अकरा (विसिया प्रजाती) वजन के अनुसार क्रमशः 0.025% और 0.2% से अधिक नहीं होगें।

- 12% से अधिक और 14% तक नमी को पूर्ण कीमत पर छूट प्रदान की जाएगी। 14% से अधिक नमी वाले खाद्यन्न को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

- गणना द्वारा निश्चित किए गये घुने हुए दानों में 1% से अधिक घुने हुए दानों वाले जौं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। घुने हुए दानों के लिए 2 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कटौती होगी।

- स्टाक में जीवित जन्तुबाधा होने के मामले में 2 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती को प्रधूमन प्रभार के रुप में वसूल किया जाएगा।

विश्लेषण की पध्दति

घुन लगे दानों को छोडकर जिन्हे गणना पध्दति द्वारा निश्चित किया जाना है, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक ब्यूरो संख्या आई0एस0 4333 (भाग 1 और 2) 1967 के अनुसार।

अपवर्तकों की परिभाषा

भारतीय मानक ब्यूरो की विनिर्दिष्टि संख्या 2813-1995 में निहित निर्देशों के अनुसार।